न्यायायल राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2013/00210 (86/2013) 223 आरटीएक्ट
करनैल सिह पुत्र स्व0 श्री करतार सिह जाति राय सिख निवासी बीड तलाब तहसील व जिला भठिण्डा (पंजाब) –अपीलाण्ट

बनाम

1. सरवण सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जट सिख निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. अर्जन सिह पुत्र जीत सिह जाति जटसिख निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी
4. श्रीमति शीलो पुत्री स्वर्गीय फौजा सिह पत्नी श्री भजनसिह जाति रायसिख निवासी बीड तालाब तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
5. ज्वालोबाई पत्नी स्व0 फौजासिंह
6. मंगतसिंह
7. जंगीर सिह
8. मुखत्यार सिह

(6–8: पिसरान स्वर्गीय फौजा सिह; 5–7: अकवाम राय सिख निवासी सुरेवाला त0 व जिला हनुमानगढ)

9. कलवंत सिह
10. वकील सिंह

(9–10: पिसरान दलीप सिंह जाति राय सिख निवासी रतिया जिला सिरसा (हरियाणा))

11. छिन्दोबाई पुत्री स्व0 करतार सिंह जाति राय सिख निवासी 34 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.12.2011 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0 सं0 13/2011 बअनवानी श्रवण सिह बनाम अर्जन सिंह आदि

उपस्थितः–
श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिह खोसा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3
श्री गुरमेल सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 ता 6, 9 ता 11

निर्णयः– दिनांकः–13.11.2019

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार है कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद धारा 136 व 88 आरटीएक्ट में एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें चक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 9 सी.डी.आर. के खाता संख्या 138 की .670 है0 में 2/3 हिस्सा व चक 10 सी.डी.आर. ''बी'' के खाता संख्या 73 में 0.518 है0 में 2/3 हिस्सा दर्ज था एवं बुधा के नाम 1/3 हिस्सा दोनों चकों में अलग अलग दर्ज था। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा चक 9 सी.डी.आर. के प0 नं0 222/258 के किला नं. 14/.114 , 15/.253, 17/.240, 22/.063 की कुल .670 हे0 भूमि व चक 10 सीडीआर ''बी'' के खाता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

संख्या 73 की कुल 0.518 है0 भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 19.12.1975 को करतारसिंह से खरीद की थी। यह भी कथन किये कि सम्वत 2044 में उक्त खरीदशुदा भूमि करतारसिंह के नाम दर्ज थी व राष्ट्रपति भारत सरकार का नाम दर्ज था लेकिन आदेश सनद संख्या 2543 दिनांक 31.1.1987 के अनुसार दिनांक 04.04.1988 को जो नामान्तरण दर्ज हुआ उसमें खरीदशुदा भूमि के खाता में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 2/3 हिस्सा व श्रीमति बुधा पत्नी करतारसिंह के नाम 1/3 हिस्सा अंकित हो गया जो राजस्व अधिकारियों की गलती से हो गया। समस्त भूमि उनकी खरीदशुदा है इसलिए बुधा के नाम की त्रुटि को दुरूस्त करवाकर उसका नाम राजस्व अभिलेख से कलमजन किया जावे। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी की और से कोई आपत्ति नहीं की गई जिसपर विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने बतौर तृतीय पक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के वक्त बुधा बाई पत्नी करतारहि सिंह जीवित ही नहीं थी वाद में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने महज अपने भाई अर्जन सिह अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 2 को बतौर अप्रार्थी संख्या 1 व तहसीलदार राजस्व टिब्बी को पक्षकार बनाया। बुधा देवी को दिनांक 15.11.2011 को वाद में पक्षकार बनाया गया है जबकि श्रीमति बुधा देवी की दिनांक 15.06.2007 को मृत्यु हो चुकी थी। इस तथ्य का रेस्पोडेण्ट को भलीभांति ज्ञान रहा है जिसे अधिनस्थ न्यायालय में छुपाया गया है। बुधा देवी अपीलाण्ट की माता थी। बुधा देवी के उत्तराधिकारीगण जो कि प्रत्यर्थीगण संख्या 4 ता 11 को अपील में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रश्गनत आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 गांव सुरेवाला में निवास करते हें जो कि अपीलार्थी के जाति के हैं व उनके साथ अपीलार्थी व उसके परिवार के साथ अच्छी जानकारी है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार योग्य नहीं है कि इनको बुधा देवी की मृत्यु के बारे में ज्ञान नहीं रहा हो।

4. यह प्रकरण महज दुरूस्ती का नहीं है। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के अभिवचनों के मुताबिक भी उनके नाम से समस्त कृषि भूमि का इन्तकाल कभी भी नहीं चढा बल्कि इस भूमि की खातेदारी सनद बनने के बाद प्रथम इन्तकाल में ुधा के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ इस स्थिति को प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 ने हमेशा स्वीकार किया है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की गई। ऐसी स्थिति में यह मामला धारा 88 आरओक्ट के प्रावधानों से आकर्षित होता है। इसलिए महज 136 आरटीएक्ट के प्रावधान यहां लागू नहीं आते हैं।

5. प्रश्नगत दोनों चकों की भूमि करतारसिंह पुत्र साबूसिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला को फेमी के आधार पर आवंटित हुई थी। बैयनामा दिनांक 19.12.1975 को यह भूमि गैर खातेदारी में दर्ज थी जिसे बेचने का कोई अधिकार करतारसिह को प्राप्त नहीं था। बेयनामे को नियमन करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। हस्तगत कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार 1987 में दिये गये व सनद दिनांक 31.01.1987 को जारी की गई थी जिसमें करतार सिह पुत्र साबुसिंह, बुधा पत्नी कातर सिह व भारी पत्नी साबुसिंह के हक व हिस्सा की बहिस्सा बराबर थी। भारी की मृत्यु खातेदारी सनद जारी करने से पूर्व ही हो चुकी थी। भारी के दो पुत्र करतार सिंह व जगतार सिंह थे। जगतार सिंह ने अपने हिस्से की दस्तबरदारी अपने भाई करतारसिंह के नाम करवा दी जिस पर करतारसिंह का दो हिस्सा व बुधा का एक हिस्सा निर्धारित हुआ। चूंकि करतार सिह ने सनद जारी होने से पूर्व ही उपरोक्त वर्णित दोनों खातों की भूमि का बैयनामा करवा दिया था ऐसी स्थिति में जब प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 ने उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बैयनामा के आधार पर अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवाना चाहा तब उस स्थिति में करतारसिह के 2/3 हिस्सा का इन्तकाल प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में दर्ज हुआ व 1/3 हिस्सा का नामान्तरण बुधा पत्नी कतारसिह के नाम दर्ज हुआ जो कि विधि सम्मत था। प्रत्यर्थीगण ने इस नामान्तरण के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं की। ऐसी स्थिति में बुधा का 1/3 हिस्सा अभिलिखित था प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 का इस 1/3 हिस्सा की भूमि पर कोई अधिकार भी नहीं रह गया था जबकि बुधा अपने 1/3 हिस्सा की भूमि को कभी भी प्रत्यर्थीगण संख्या 1व 2 के पक्ष में अन्तरित नहीं किया। करतारसिंह को अपने हिस्सा से अधिक भूमि को बेचने का कोई अधिकार ही नहीं था। यदि बैयनामा वैधा प्रमाणित भी होता है तो महज करतारसिंह के हक की सीमा तक ही प्रवर्तनीय माना जा सकता है। बुधा देवी प्रतिवादी संख्या 3 पर दर्ज थी। बुधा का देहान्त वर्ष 2007 में हो चुका था उसके वारिसान को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट व बुधा के वारिसान को कभी कोई नाटिस नहीं दिया गया। अपीलाण्ट इस निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिसके लिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र. प्रस्तुत किया है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं रहा है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान पटवारी हल्का के माध्यम से हुआ जिस पर ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है। अतः धारा 96 सपीसी, धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जावें तथा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित नही आये।
7. रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की तरफ से राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
8. रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ता 11 के अधिवक्ता ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का कथन किया।
9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
10. धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के तथ्यों के अनुसार अपीलाण्ट अप्रार्थी संख्या 3 बुधा के वारिसान हैं। बुधा दिनांक 15.06.2007 को फौत हो चुकी है जिसकी तस्दीक अपील में प्रस्तुत बुधा के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति से होती है। प्रकरण दायरी के समय बुधा जीवित नहीं थी। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2011 को पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि में बुधा 1/3 हिस्सा है। अपीलार्थीगण बुधा के वारिसान हैं। जिन्हें प्रकरण में प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए वे एक प्रभावित पक्षकार हैं अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं।
11. अपीलाण्ट अप्रार्थी संख्या 3 बुधा के वारिसान हैं। बुधा अपीलाधीन वाद दायर होने से पूर्व ही फौत हो चुकी थी। उसके वारिसान को वाद में पक्षकार नहीं थे। इसलिए अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।
12. अधिनस्थ न्यायालय वाद रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के खिलाफ प्रस्तुत किया है जो राजस्व अभिलेख के अंकन की दुरूस्ती से सम्बन्धित कहते हुए धारा 136 एलआरएक्ट में प्रस्तुत किया था। प्रकरण के तथ्यों के मुताबिक भूमि की खातेदारी सनद बनने के बाद प्रथम इन्तकाल में बुधा के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ जिसके आधार पर उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ है। बुधा द्वारा अपना हिस्सा कभी भी बेचान नहीं किया गया है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसके नाम को कलमजन करने के आदेश दिये हैं। ऐसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

स्थिति में यह मामला धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से आकर्षित होता है।

13. प्रकरण में आये तथ्यों के अनुसार रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी बुधा जोजा करतारसिह के नाम दर्ज चक 9 सीडीआर की .670 है0 चक 10 सीडीआर .518 है0 भूमि में 1/3 हिस्से भूमि को जरिये बैयनामा खरीदशुदा बताते हुए उसका नाम कलमजन करने का अनुतोष चाहा गया था जो स्वीकार किया गया है। **प्रश्नगत भूमि का बैयनामा करतार सिह द्वारा किया गया है। प्रथमतः करतार सिह को बुधा के नाम दर्ज आराजी को बैय करने का अधिकार नहीं था। द्वितीय करतार सिह को अपने हिस्से के अधिक भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं था। बैयनामा दिनांक 19.12.1975 को यह भूमि गैर खातेदारी में दर्ज थी जिसे बेचने का कोई अधिकार करतारसिह को प्राप्त नहीं था। हस्तगत कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार 1987 में दिये गये व सनद दिनांक 31.01.1987 को जारी की गई थी। करतार सिह का रिकार्ड में 1/2 हिस्सा एवं बुधा का 1/3 हिस्सा दर्ज है। बुधा दिनांक 15.06.2007 को फौत हो चुकी है जिसकी तस्दीक अपील में प्रस्तुत बुधा के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति से होती है। प्रकरण दायरी के समय भी वह जीवित नहीं थी। उसके वारिसान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2011 को पारित किया गया है जो एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है।** अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निप्रय दिनांक 26.12.2011 अपास्त किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2011 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.12.04 12:41:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: